

सुजाता
सदस्य-सचिव



उत्तराखण्ड शासन

उत्तराखण्ड राज्य महिला आयोग
निकट नन्दा की चौकी, सुद्धौवाला,
देहरादून
ई-मेल:-Women.Commission.Uk@gmail.com
फोन नं0:- 0135-2775817
फैक्स नं0:- 0135-2775817

पत्रांक: 977 / रा०महि०आ० / 2015-16

दिनांक 17 जून 2015

सेवा में,

प्र०, मुख्य सूचना आयुक्त,
उत्तराखण्ड सूचना आयोग,
देहरादून।

विषय:- कारण बताओ नोटिस धारा-18(1)(एफ) के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया अपने पत्र सं0-5692/शि०सं0-10278/18(1)(एफ)/उ०स०आ० दिनांक 20.05.2015 का सन्दर्भ ग्रहण करें। जिसमें शिकायतकर्ता श्री राजेन्द्र प्रसाद, अधिवक्ता मार्फत राजेश गोयल, कंसल स्टोर, 49 डी०एल०रोड, देहरादून द्वारा आपके आयोग को अवगत करवाया गया है कि लोक प्राधिकारी अध्यक्ष उत्तराखण्ड राज्य महिला आयोग देहरादून द्वारा धारा-4(1)(A) के अन्तर्गत अपने मैनुअल को इंटरेट से नहीं जोड़ा गया है, के सम्बन्ध में अवगत करवाना है कि उत्तराखण्ड राज्य महिला आयोग, निदेशालय, आई०सी०डी०एस० विभाग के अन्तर्गत आता है आपके पत्र के क्रम में निदेशालय, आई०सी०डी०एस० को आयोग के पत्र सं0-839 दिनांक 09.06.2015 को मैनुअल इन्टरनेट से जोड़ने हेतु पत्र प्रेषित किया गया था। यह भी अवगत करवाना है कि महिला आयोग की अपनी कोई वैबसाईट नहीं है।

आपकी सेवा में भी मैनुअल प्रेषित किया जा रहा है।

भवदीया
(ह०)
सदस्य-सचिव

प्रतिलिपि:- श्री राजेन्द्र प्रसाद, अधिवक्ता मार्फत राजेश गोयल, कंसल स्टोर, 49 डी०एल०रोड, देहरादून।

सदस्य-सचिव